और देवकी नंदन एक मकान मालिक और किरायेदार नहीं है क्योंकि गुरचरण सिंह देवकी नंदन को किराया देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उनका दायित्व केवल देवकी नंदन को उपयोग और व्यवसाय के लिए मुआवजे का भुगतान करना था, न कि किराए पर। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि देवकी नंदन और गुरचरण सिंह के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है। मामले के इस दृष्टिकोण में, किराया नियंत्रक, साथ ही अपीलीय प्राधिकरण के पास पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम की धारा 13 के तहत देवकी नंदन की याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वास्तव में, देवकी नंदन का उपाय लाइसेंसधारक को बाहर निकालने के लिए साधारण सिविल न्यायालयों में था।

(5) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ किराया नियंत्रक के आदेश को रद्द करता हूं जिसमें याचिकाकर्ता गुरचरण सिंह को बेदखल करने का आदेश दिया गया था। हालांकि, मैं पार्टियों को अपनी लागत को वहन करने के लिए छोड़ देता हूं।

आर.एन.एम.

अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति डी. के. महाजन के समक्ष

बट्टू और अन्य, अपीलकर्ता

बनाम

श्रीमती पुनियन, - उत्तरदाता

1968 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1043

13 अक्टूबर, 1969

कस्टम (गुड़गांव जिला)- गुड़गांव में अशुद्ध ब्राह्मण विधवा - चाहे वह अपने पति की संपत्ति खो दे - ब्राह्मणों की प्रथा-चाहे वह जाटों और राजपूतों के समान हो।

माना जाता है कि गुड़गांव जिले की प्रथा के तहत, एक अपवित्र ब्राह्मण विधवा अपने पति की संपत्ति नहीं खोती है। जिले के रिवाज-ए-आम के लेखक ने उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए सामान्य बयान पर संदेह किया है, जिन्हें इसकी तैयारी में परामर्श दिया गया था। जाटों का रिवाज राजपूतों के साथ-साथ ब्राह्मणों के रिवाज के समान है। रिवाज यह है कि एक

विधवा जो अपने पति का घर नहीं छोड़ती है, भले ही वह अपवित्र हो जाए, अपने पति की संपत्ति को बरकरार रखती है। (पैरा 7 और 8)

दूसरी अपील 22 जून, 1968 को गुड़गांव के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री बनवारी दल सिंघल की अदालत की डिक्री के आधार पर की गई। दीवान हुकम चंद गुप्ता, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, पलवल, जिला गुड़गांव ने 5 जनवरी, 1967 के आदेश को पलट ते हुए वादी को वाद में भूमि के कब्जे के लिए डिक्री प्रदान की।

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डी. सी. अहलूवालिया और एच. एल. सरीन

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता पी. एस. जैन और वी. एम. जैन

निर्णय

इस मामले में पक्षकार जिला गुड़गांव के गौड़ ब्राह्मण हैं। अंतिम पुरुष धारक बिधू थे, जिनकी मृत्यु 19 फरवरी, 1940 को हुई थी, जो अपनी विधवा एमएसटी पुनियन, मां मस्ट भूरी आई और बहन बैटो को पीछे छोड़ गए थे। उनकी मृत्यु पर भूमि को उनकी विधवा के नाम पर उत्परिवर्तित कर दिया गया था। 15 नवंबर, 1952 को बिधू की मां भूरी के पक्ष में एक उत्परिवर्तन दर्ज होने तक वह इस आधार पर कब्जे में रहीं कि सुश्री पुनियन ने तिरलोक चंद के साथ करेवा विवाह किया था। भूरी ने 23 अप्रैल, 1964 को अपने बेटे बिधू की चौथी डिग्री संपार्श्विक को जमीन उपहार में दी। वर्तमान मुकदमा पुनियान द्वारा अपने पति की संपत्ति पर कब्जे के लिए इस आधार पर दायर किया गया था कि प्रतिवादी नंबर 3 तिरलोक चंद, जो खेमी का बेटा है, ने उसके साथ बलात्कार किया और इस तरह वह गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद प्रतिवादियों ने उसे अपने घर से बाहर कर दिया और इस आधार पर भूमि को सुश्री भूरी के पक्ष में बदल दिया कि वादी ने तिरलोक चंद के साथ करेवा विवाह किया था। मुकदमा लंबित रहने के दौरान भूरी की मृत्यु हो गई और उनकी बेटी बैटो को उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया।

(2) प्रतिवादियों ने अपने लिखित बयान में यह स्थिति ली कि वादी अनैतिक चरित्र का था और उसने कैरेवा को गैलाब के सुखी के साथ अनुबंधित किया था; कि वह उत्परिवर्तन के लिए एक प्रतिस्पर्धी पक्ष थी और इसलिए, वर्तमान मुकदमा लाने से रोक दिया गया। यह कि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे से मुकदमे की भूमि के मालिक बन गए थे; और यह कि पुनर्विवाह करके और किसी भी मामले में उसकी अशुद्धता के कारण, वादी ने उसे बनाए रखने का अधिकार खो दिया था। पति की संपत्ति। यह भी बताया गया कि तिरलोक चंद द्वारा पहले एक मुकदमा दायर किया गया था और उन्होंने एक घोषणात्मक डिक्री प्राप्त की थी कि वादी ने उनके साथ करेवा विवाह का अनुबंध नहीं किया था और वादी से पैदा हुआ बच्चा उनका नहीं था। पक्षकारों के अनुरोध पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे -

1. क्या वादी ने सुखी के साथ करेवा विवाह किया था, जैसा कि आरोप लगाया गया है? यदि हां, तो इसके

प्रभाव?

2. क्या वादी अपने पति अर्थात् बिधू की मृत्यु के बाद अपवित्र हो गई थी और यदि हां, तो क्या पार्टियों के परिवार को नियंत्रित करने वाली कोई प्रथा है जिससे वह अपने पति की विरासत को प्राप्त करने के अपने अधिकारों को खो देती है और इस प्रकार वह विवाद में भूमि से वंचित हो जाती है? (जैसा कि फिर से लिखा गया है)

3. क्या वादी प्रतिवादी संख्या 3 के माध्यम से गर्भवती हो गई और उसने अपने घर से एक बच्चे को जन्म दिया? यदि हां, तो इसका प्रभाव?

4. क्या वादी को म्यूटेशन को चुनौती देने के लिए रोका गया है, जैसा कि लिखित बयान में आरोप लगाया गया है?

5. क्या मुकदमा समयबद्ध है?

6. क्या प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे से मुकदमे की भूमि का मालिक बन गया है?

7. क्या विधवा के मामले में कारेवा के मामलों में बिधू का परिवार प्रथा द्वारा शासित होता है और क्या यह प्रथा है कि ऐसे करेवा के परिणामस्वरूप वह अपने पति की विरासत में अपने अधिकारों को खो देती है? (जैसा कि फिर से लिखा गया है)

8. क्या मुद्दा संख्या 3 वादी और प्रतिवादियों के बीच विवाद है?

(3) ट्रायल कोर्ट ने माना कि वादी ने सुखी के साथ विवाह किया था; कि वादी अपवित्र था; कि वह प्रतिवादी नंबर 3 के माध्यम से गर्भवती हो गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था; कि वादी को वर्तमान मुकदमा लाने से रोक दिया गया था; कि मुकदमा समय से रोक दिया गया था; कि वादी-प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे से मालिक बन गए थे; कि पार्टियां रीति-रिवाजों द्वारा शासित थीं और मुद्दा संख्या 3 पर निष्कर्ष, अर्थात्, वह वादी प्रतिवादी संख्या 3 के माध्यम से गर्भवती हो गई थी, जो न्यायिक थी। तदनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ वादी ने गुड़गांव के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील की। विद्वान न्यायाधीश ने अपील को स्वीकार कर लिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। वादी के मुकदमे का फैसला सुनाया गया था। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा यह पाया गया कि वादी ने सुखी के साथ करेवा विवाह नहीं किया था, कि वादी अपवित्र नहीं हुआ था, कि उसे जबरन

अवैध यौन संबंध के अधीन किया गया था, वादी को उत्परिवर्तन को चुनौती देने से नहीं रोका गया था, कि मुकदमे को समय द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था, कि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे से विवाद में भूमि के मालिक नहीं बने थे और पक्षकार थे। रीति-रिवाजों द्वारा शासित और कोई पुनर्विवाह या अशुद्धता नहीं होने के कारण, वादी ने अपने पति की संपत्ति को जब्त नहीं किया था। इस फैसले के खिलाफ, बाटो और खेमी और उनके बेटों ने वर्तमान दूसरी अपील को प्राथमिकता दी है।

(4) एस्टोपेल, पुनर्विवाह और प्रतिकूल कब्जे से संबंधित मामला द्वितीय अपील में समीक्षा के लिए खुला नहीं है। इन मामलों पर निचली अपीलीय अदालत का निर्णय साक्ष्यों पर आधारित होता है। कानून की कोई गलती नहीं हुई है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दूसरी अपील में इसे सही ढंग से नहीं उठाया है। परिसीमा के प्रश्न पर कोई तर्क नहीं दिया गया।

(5) मेरे सामने केवल एक ही प्रश्न पर गंभीरता से बहस हुई है कि पुत्र को जन्म देकर वादी अपवित्र हो गई है, और इसलिए, अपवित्रता के कारण उसने पति की संपत्ति को बनाए रखने का अधिकार खो दिया है। अपीलकर्ता के वकील का तर्क यह है कि जिला गुड़गांव के रिवाज-ए-एएम में , यह कहा गया है: —

> "यदि कोई विधवा अपवित्र साबित हो जाती है, या करूर द्वारा फिर से शादी करती है, तो वह अपने पति की संपत्ति में सभी अधिकार खो देती है। हमारी विधवाएं दूसरी शादी नहीं करती हैं।"

राजपूत जनजाति द्वारा यह उत्तर दिया गया है। जहाँ तक ब्राह्मणों का संबंध है, उनका उत्तर राजपूतों के समान ही है, इस उत्तर के संबंध में संकलक द्वारा एक नोट है और उस नोट में लिखा है: इस प्रकार :-

> "एक विधवा की अपवित्रता या पुनर्विवाह का कोई उदाहरण नहीं है।
> ऐसा लगता है कि जब एक विधवा अपने पति का घर छोड़ती है, तो वह उसकी संपत्ति में अपनी रुचि खो देती है।"

इसलिए, यह स्पष्ट है कि जहां तक रिवाज-ए-आम का संबंध है, यह विद्वान वकील के तर्क का समर्थन करता है और इसलिए, न्यायिक निर्णयों की सुसंगत प्रवृत्ति के अनुसार, प्रतिवादियों द्वारा स्थापित प्रथा के पक्ष में एक प्रारंभिक धारणा उत्पन्न होती है।

(6) दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील का तर्क यह है कि इस मामले में इस धारणा का खंडन किया गया है: —

(क) कि रिवाज-ए-आम की तैयारी में महिलाओं से सलाह नहीं ली गई थी। इसलिए, रिवाज-ए-एम प्रवेश की धारणा, जो महिलाओं के हित के खिलाफ है, काफी कमजोर हो गई है।

(ख) रिवाज-ए-आम उदाहरणों द्वारा समर्थित नहीं है।

(ग) रिकॉर्ड में साबित हुए उदाहरण स्पष्ट रूप से रिवाज-ए-एम से उत्पन्न धारणा का खंडन करते हैं।

(घ) कि रिवाज-ए-आम प्रांत के सामान्य रीति-रिवाजों का विरोध करता है।

(क) और (ख) के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जाता है। (ग) के अनुसार, रिवाज-ए-आम में दर्ज रिवाज के पक्ष में दो उदाहरण हैं। ये उदाहरण इस प्रकार हैं -

(i) भजन बनाम माउंट भएओली[1](1); और

(ii) श्रीमती खिल्यान और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य[2], (2).

जहां तक पहले उदाहरण का संबंध है, यह इस साधारण कारण से कोई मदद नहीं करता है कि मामले का फैसला केवल रिवाज-ए-आम प्रविष्टि से उत्पन्न अनुमान के आधार पर किया गया था । वास्तव में, उस मामले में रिवाज-ए-आम प्रविष्टि के खिलाफ तीन उदाहरण थे और उन पर कोई वजन नहीं जोड़ा गया था और मामले का फैसला अकेले रिवाज-ए-एम प्रविष्टि के आधार पर किया गया था। सुश्री सुबहानी और अन्य बनाम भारत में प्रिवी काउंसिल की आधिकारिक घोषणा को देखते हुए यह निर्णय अब अच्छा कानून नहीं है। नवाब और, अन्य[3] (3), और जय कौर और अन्य बनाम सुप्रीम कोर्ट का फैसला शेर सिंह और अन्य[4] (4). दूसरी ओर, मेरी राय में, ये तीन उदाहरण रिवाज-ए-आम प्रविष्टि का खंडन करने के लिए पर्याप्त होंगे । अब तक दूसरे उदाहरण के रूप में श्रीमती खिल्यान और एक अन्य वी। भजन लाई और अन्य (2) का संबंध है, उस मामले में विधवा के अपने पति की संपत्ति खोने की पवित्रता का प्रश्न सीधे नहीं उठता है। यह संयोग से उत्पन्न हुआ। उस मामले में सवाल यह था कि क्या एक अपवित्र विधवा द्वारा गोद लेना वैध था या नहीं। गोद लेने की वैधता से निपटने के दौरान संयोग से यह देखा गया कि ऐसी विधवा अपने पति की संपत्ति भी खो देती है। इस मामले का तथ्य यह है कि किसी भी उदाहरण पर या तो विचार नहीं किया गया था या उस पर भरोसा नहीं किया गया था।

(7) दूसरी ओर मामराज वी। भोला और अन्य[5](5) गुड़गांव जिले के जाटों का मामला है। मामले को रिमांड पर लिया गया और यह पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया गया कि क्या जाटों के बीच कोई प्रथा थी

[1] A.I.R. 1932 Lah. 177.
[2] R.S.A. 720 of 1952 decided on 21st August, 1959.
[3] I.L.R. 1941 Lah. 154.
[4] A.I.R 1960 S.C. 1118.
[5] 78 Punjab Records 1869

जिसके तहत एक अपवित्र विधवा अपने पति की संपत्ति खो देती थी। जांच के बाद, यह पाया गया कि गुड़गांव में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी जहां एक अपवित्र विधवा अपने पति की संपत्ति खो देती है। इसी तरह, घुराय वी में। रोमाउ और एक अन्य[6] (6), यह देखा गया कि गुड़गांव जिले में एक अपवित्र विधवा अपने पति की संपत्ति नहीं खोती है। मैं उल्लेख कर सकता हूं कि जाटों की प्रथा राजपूतों के साथ-साथ ब्राह्मणों के रीति-रिवाजों के समान है। इन उदाहरणों के अलावा तीन उदाहरण हैं जिनका उल्लेख लाहौर उच्च न्यायालय के भजना बनाम माउंट भियोली (1) एवटी मामले में दिए गए फैसले में मिलता है। इस प्रकार सभी उदाहरण रिवाज-ए-एम में दर्ज रिवाज के खिलाफ हैं।

(8) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिवाज-ए-आम के लेखक ने इस तरह के रिवाज के बारे में सामान्य बयान की शुद्धता पर संदेह किया, जैसा कि उन व्यक्तियों द्वारा किया गया था जिन्हें इसकी तैयारी में परामर्श दिया गया था। कंपाइलर द्वारा यह देखा गया है कि रिवाज यह प्रतीत होता है कि एक विधवा जो अपने पति के घर को नहीं छोड़ती है, भले ही वह अपवित्र हो जाए, अपने पति की संपत्ति को बरकरार रखती है। यह कथन पूरी तरह से प्रथागत कानून के रैटिगन्स डाइजेस्ट के पैराग्राफ 37 के अनुरूप है और इसलिए, (सी) और (डी) स्थापित किया गया है। इसलिए, मेरा स्पष्ट रूप से विचार है कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि सुश्री पुनियन की अपवित्रता के परिणामस्वरूप उनके पति की संपत्ति जब्त कर ली गई है।

(9) विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है।

(10) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

(11) लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत अपील करने की अनुमति के लिए विद्वान वकील द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है।

आर.एन.एम.

[6] 1969 Cur. L.J. 678.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रवि अमितोज़ प्रशिक्षु
न्यायिक अधिकारी